

MR. CHAIRMAN: That is enough.

श्री जयन्ती लाल बरोट: माननीय मंत्री जी क्या बता सकेंगे कि चोरियों में रेल कर्मचारियों की या आर.पी.एफ. की क्या कोई भागीदारी होती है? क्या ऐसे मामले सरकार के ध्यान में आए हैं? यदि आए हैं, तो कितनों के ऊपर एक्शन लिया गया है? साथ ही चोरियां न हों, इसके लिए रेलवे क्या कोई अन्य एजेंसी रखना चाहती है?

श्री सभापति: इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए। Next question. Shri Ekanath K. Thakur. ... (Interruptions)...

श्री जयन्ती लाल बरोट: सर, उन्होंने जवाब नहीं दिया।

श्री सभापति: जवाब दिलवाया नहीं मैंने। इसलिए नहीं दिलवाया कि इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए।

श्री जयन्ती लाल बरोट: उनके पास क्या जवाब नहीं है?

श्री सभापति: जवाब होगा, लेकिन इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए।  
... (व्यवधान)...

श्री जयन्ती लाल बरोट: यह चोरी का मामला है।

श्री सभापति: चोरी कई तरह से होती है। ... (व्यवधान)...

श्री मूल चन्द भीणा: जवाब चोरी हो गया है।

श्री सभापति: हां, जवाब चोरी हो गया है।

### **New Fertilizer Policy**

\*42. SHRI EKANATH K. THAKUR: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government's new fertilizer policy to remove anomalies in the 2003 pricing strategy is caught in the web of red tape;

(b) whether it is also a fact that the delay in announcing the new policy is virtually chocking the operations of some public sector companies like Fertilizers and Chemicals Travancore Limited (FACT) and Madras Fertilizers Limited (MFL); and

(c) if so, the reasons for delay in announcing new policy?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

**Statement**

(a) to (c) The New Pricing Scheme (NPS) for urea units was introduced w.e.f. 1.4.2003 replacing the erstwhile Retention Price Scheme. NPS is being implemented in stages. Stage-I was of one year duration effective from 1.4.2003 to 31.3.2004 and Stage-II is of two year duration commencing from 1.4.2004 and will be up to 31.3.2006. While communicating the salient features of the NPS, it was laid down that the modalities of Stage-III would be decided by the Department of Fertilizers (DoF) after review of the implementation of Stage-I and Stage-II.

In compliance of this, a Working Group is proposed to be constituted, which will apart from, reviewing the effectiveness of Stage-I and II of NPS and for formulating policy for urea units beyond for Stage-III commencing from 1.4.2006, would also examine issues pertaining to formulation of feedstock policy especially with regard to nature, pricing and availability, demand and supply of urea upto the end of Eleventh Five Year Plan, fixing milestones for conversion of existing naphtha and FO/LSHS based units to NG/LNG, mode of determination and methodology of payment of concession to urea units, decontrol of movement and distribution of urea, balanced fertilization through urea pricing etc.

SHRI EKANATH K. THAKUR: Sir, my question relates to the subsidy that has been provided to the manufacturers of complex fertilisers. This is mainly to subsidise the import cost of phosphoric acid which is used as an input in the fertilisers. This year, the international prices are reported to have gone up from \$356 per tonne to \$398 per tonne. Would the Minister kindly enlighten me as to whether India always imports phosphoric acid at a cost higher than that of our neighbouring countries?

श्री राम विलास पासवान: सर, यह जो फास्फोरस के इंपोर्ट का मामला है, इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है और उसमें हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वह सिर्फ एक ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है। आपने ठीक कहा कि हमारे सामने दोनों काम होते हैं, रन भी बनाने पड़ते हैं और विकेट भी बचाने पड़ते हैं। इस बार जब हम मंत्री बने तो पिछली बार कीमत थी 352 रुपए और इस बार हो गई—जब फाइल मेरे पास आई—तो उसमें कीमत थी 402 रुपए। इसी तरीके से एम.ओ.पी. का पिछली बार था 124 रुपया और इस बार मेरे पास आ गया 180 रुपया। पिछली गवर्नमेंट के समय

में जब डिस्सीज़न हुआ था मार्च में, तो मार्च में प्राइस कम था और अप्रैल से प्राइस बढ़ना शुरू हो गया, तो मैं डर गया। मैंने प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा कि मैं क्या करूँ? तीन साल तक लगातार कीमत 352 है, 124 है और अब एकाएक 180 और 402 हो गई है और कुछ दिनों के बाद सरकार पर उंगली उठेगी, तो मैं क्या करूँ? उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बना दी। उन्होंने इसे केबिनेट के पास भेज दिया और केबिनेट ने जांच की और पाया कि बाहर दाम 402 रुपए हैं और इसका दाम 190 के करीब है, और भी बढ़ता ही जा रहा है। अंत में केबिनेट ने निर्णय लिया कि इतने पर फिक्स करो और उसके आधार पर दिया गया। इंटरनेशनल मार्केट के बारे में तो आप जानते हैं कि सारा का सारा रॉ मैटीरियल इंपोर्ट होता है और उसमें हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो उसी के आधार पर सारे के सारे दाम तय होते हैं।

SHRI EKANATH K. THAKUR: Sir, my second supplementary is this. I want to know whether the fertilizer subsidy would stand the scrutiny of the new WTO regime. I want to know whether, in view of the fact that there is wide use of Kisan Credit Cards, as also in view of the fact that the Government has not decided to double the credit agriculture and a large number, a substantial number, of our farmers are going to come within the banking net, the Government would consider any scheme for provision of direct fertilizer subsidy.

SHRI RAM VILAS PASWAN: Sir, I can't understand it. The only thing is that हम अभी जो सब्सिडी किसान को देते हैं, तो जो एम्आरपी होता है और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, चाहे कितने भी दाम बढ़ जाएं, हम हमेशा उसी दर पर कम्पनी को देते हैं ... (व्यवधान)... एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हमारी मिनिस्ट्री दोनों मिलकर एसेस करते हैं कि किस राज्य में कितनी जरूरत है और उसके मुताबिक कम्पनी सप्लाय करती है। ... (व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Let him finish. You please take your seat.

SHRI RAM VILAS PASWAN: Sir, your question is very complicated. Why are you impatient? प्लीज लिसन, प्रोब्लम यह है कि यदि हम डायरेक्ट किसान को सब्सिडी देना शुरू कर देंगे तो उसमें इतना ज्यादा करप्शन हो जाएगा कि जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं होगा। ... (व्यवधान)... फिर बी०डी०ओ० के यहां जाओ, उनसे सर्टिफिकेट लो, यह करो, वह करो, इसलिए वह पॉसिबल नहीं है और प्रेक्टिकल भी नहीं है। ... (व्यवधान)...

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Mr. Chairman, Sir, I would like to put a question, through you, to the hon. Minister. There has been a delay of almost ten months in the declaration of the Fertilizer Policy. I read from the newspapers that there is considerable agitation in Haryana

and Punjab on the non-availability, particularly, of diammonium phosphate (DAP). Is that delay in declaring the Fertilizer Policy linked to the scarcity, particularly, in Punjab and Haryana as also in Tamil Nadu and Andhra Pradesh?

श्री राम विलास पासवान: सर, पॉलिसी के कारण एवेलिबिलिटी में पंजाब, हरियाणा, और जो अन्य राज्यों के बारे में कहा है, इसमें कोई नहीं है, हमारे पास हरियाणा में डीएफपी की आवश्यकता 289 मीट्रिक टन की आई थी और उसको 310 मीट्रिक टन दिया गया था। उसकी बिक्री 207 मीट्रिक टन बिक्री हुई थी और उसके पास जो स्टॉक बचा है, वह 50 मीट्रिक टन है। पंजाब से जो मेरे पास डिमांड आई थी, वह 375 मीट्रिक टन थी। उसको सप्लाई किया गया 406 मीट्रिक टन और बचा गया 360 मीट्रिक टन। उनके पास जो बचा हुआ है, वह 45 मीट्रिक टन बचा हुआ है। यदि आप और किसी राज्यों के बारे में पूछेंगे तो मैं वह भी बतला दूंगा। ... (व्यवधान) ... सर, यह 350 हजार है।

SHRI K. CHANDRAN PILLAI: Sir, I want to know from the hon. Minister whether urea is imported into the country recently, after six years, and that too at a higher price. What is the compulsion for this kind of an arrangement, when 32 lakh tonnes indigenous capacity is not utilized? It is idling in RCF, FCI, Coromandal and FACT. This question has to be answered by the Minister.

At the same time, it is necessary to have a comprehensive policy, considering the heterogeneous nature of the fertilizer plants by virtue of feedstock differential. The pricing of LNG has not yet been done. Though a Ministerial Committee has been formed, nothing has come out. There is an urgent need to take steps for pricing LNG. There is a reference to FACT and the Madras Fertilizer Limited. The operations of these companies are really chocking. Packages are agreed upon by the Fertilizer Ministry and they are under circulation, according to my information. What is happening? These major units are not working to their full capacity.

श्री राम विलास पासवान: सर, यह तो इन्होंने कहा है, लेकिन जो इनका मेन है, मैं इनके साथ फेक्ट में गया था और एफएसीटी का निरीक्षण भी किया था। मैंने वहां जाकर देखा था कि एफएसीटी का, यह जो न्यू इकोनॉमिक प्रॉलिसी है, न्यू प्राइसिंग पॉलिसी है, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। इस प्लान्ट का जून 2000 में तकनीकी समस्या के कारण प्रचालन बंद हो गया था। फिर दोबारा 2002-2003 में थोड़े समय के लिए चालू हुआ, इसके बाद फिर बंद कर दिया गया। जहां तक रिवाइवल का सवाल है, माननीय सदस्य को मालूम है कि दो पैकेज ऑलरेडी

दिए जा चुके हैं। पहला पैकेज मार्च, 2002 में दिया गया और सैकिण्ड पैकेज 2003 में दिया गया। यदि आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ पहले पैकेज में कितना दिया गया। 2026 करोड़ रुपए का बकाया ब्याज माफ किया गया, 13.07 करोड़ रुपए का ब्याज ऋण माफ किया गया और 31.3.2000 तक मूल अदायगी का हस्तगन किया गया। दूसरा पैकेज दिया गया था, उसमें 31.3.2003 तक दण्ड ब्याज सहित 87 करोड़ रुपए का बकाया माफ किया गया। भारत सरकार के 497.20 करोड़ रुपए के ऋण पर ब्याज देकर, 1.4.2000 से 15.5 प्रतिशत ब्याज घटाकर 7 प्रतिशत करना और 31.3.2000 मूल ब्याज, मूलतः ब्याज भुगतान पर रीहस्तगन करना। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के लिए गैर योजना ऋण के लिए 7 करोड़ रुपए जारी करना। इसके अलावा उन्होंने केरल सरकार से भी सहायता की मांग की थी। सर, लास्ट पैकेज के बारे में हम जानते हैं कि यह बहुत इम्पोर्टेन्ट है, यह चले और माननीय सदस्य को मालूम है कि हमारी क्या नीयत है, हम किसी को भी बंद करने के फेवर में नहीं हैं, लेकिन हमारे ऊपर इस तरह का चार्ज लगाया जाता है। अभी भारत सरकार की तरफ से हमने जो सी०सी०ए० नोट सर्कुलेट किया है, उस सी०सी०ए० नोट के सर्कुलेशन में हमने waiver of outstanding interest of Rs. 36.7 crores on GOI loan; write off total Government of India outstanding loan of Rs. 574 crores as on 31st March, 2004. 574 करोड़ रुपए के लोन की माफी, Extend the Government guarantee of Rs. 100 crores for the immediate case requirements. ये सारी चीजें करने के बाद हमने कैबिनेट नोट सर्कुलेट किया है। हम चाहते हैं कि यह पैकट चले, इसका रिवाइवल हो, हम इसके लिए प्रयत्नशील हैं।

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति महोदय, कैबिनेट नोट सीक्रेट होता है और कैबिनेट नोट के बारे में कैबिनेट के फैसले के बिना चर्चा करना क्या उचित है? इन्होंने सारे आंकड़े सदन के सामने रख दिए हैं, यह सारा पब्लिक हो गया। यह एक इंडिविजुअल मिनिस्टर का सवाल नहीं है, पूरी सरकार का सवाल है ... (व्यवधान) ... यह सरकार का फैसला नहीं है ... (व्यवधान) ...

श्री राम विलास पासवान: सभापति जी, आप किसान के प्रतिनिधि हैं ... (व्यवधान) ... यह बजट का हिस्सा नहीं है, यह मेरा प्रपोजल है, यह रिजेक्ट भी हो सकता है और एक्सेप्ट भी हो सकता है। यह डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन है। सिन्हा साहब, हर समय ... (व्यवधान) ... यह मामला मत रखिए ... (व्यवधान) ...

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति जी, ये फैसले को सदन में रखेंगे या व्यक्तिगत सिफारिश को रखेंगे ... (व्यवधान) ... जब कैबिनेट का फैसला होगा, तब सरकार बोल सकती है ... (व्यवधान) ... कैबिनेट नोट के लिए हर मंत्री सदन में जाकर कहेगा कि मेरे मंत्रालय का यह सुझाव है ... (व्यवधान) ... इस तरह से सदन चलेगा ... (व्यवधान) ...

श्री राम विलास पासवान: सभापति जी, अगर हम सदन से अनुमति ले रहे हैं तो इसमें कौन-सी बुरी बात है...(व्यवधान)...

श्री यशवंत सिन्हा: भारत सरकार की जो नियमावली है, उस नियमावली का मंत्री जी के जवाब से उल्लंघन हो रहा है ...(व्यवधान)...

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: In part (b) of the main question, it has been specifically asked whether the Madras Fertilizers Limited is going to be disinvested. But it has now been taken out of that. In which way, is it going to help them? I would like to know whether the retention of pricing scheme, which has now been changed to the New Price Scheme, is going to be helpful for them to come out of the debt trap. They have to get the raw materials from the open market where the price is market-driven. How is it going to help the Madras Fertilizers Limited to come out of the debt trap?

श्री राम विलास पासवान: सभापति जी, न्यू प्राइसिंग स्कीम में छह कैटेगिरी बनाई गई। हनुमंता कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, उसके बाद एक्सपेंडीचर रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो न्यू प्राइसिंग पॉलिसी बनाई है, यह 2003 से शुरू हो गई है। इसमें छह कैटेगिरी बनाई गई हैं। एक कैटेगिरी में 1992 से पहले जो गैस पर आधारित प्लान्ट चलते थे, उनकी एक कैटेगिरी है। उसके बाद 1992 के बाद की दूसरी कैटेगिरी है, तीसरी कैटेगिरी नाफ्था, जो 1992 से पहले का प्लान्ट था, और 1992 का प्लान्ट मिलाकर चार हो जाते हैं। एक फ्यूल के ऊपर और एक मिक्स एनर्जी पर है। इसे अलग-अलग कर दिया है। पहले रिटेंशन प्राइस होता था। जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुई, उसमें अलग-अलग, जितने भी प्लान्ट थे, उनकी कॉस्ट आफ प्रोडक्शन को देखकर और जो एम.आर.पी. है, दोनों का जो बीच का पैसा होता था, वह सब्सिडी में दिया जाता था। अब उसको ग्रुपवाइज़ कर दिया गया है और ग्रुपवाइज़ करने का मकसद यह था कि प्लांट जो है, वह सिर्फ सरकार के भरोसे पर न रहे, खुद भी थोड़ा मेहनत करने का काम करे। इससे बहुत लोगों को फायदा हुआ। एम.एफ.एल. को उसमें घाट हुआ और उस घाटे की पूर्ति करने के लिए वहां पर दो पैकेज ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। यदि आप कहें तो मैं पढ़कर सुना देता हूं। तीसरे का प्रपोज़ल भी हमारे पास है और उस प्रपोज़ल को हम सी.सी.ए. में ले जा रहे हैं। हम वहां भी गए थे...(व्यवधान)

श्री सभापति: हो गया, हो गया।

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, कोई प्लांट नहीं है जहां हम नहीं गए। हम चाहते हैं कि वह प्लांट बंद न हो।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, जवाब जरा छोटा दें।

श्री राम विलास पासवान: सर क्वेश्चन इतना लंबा है। ये पूछ रहे थे पॉलिसी के बारे में।

श्री सभापति: इसके लिए डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है।

श्री राम विलास पासवान: हमारे लिए अच्छी बात है। हम दो लाइन में जवाब दे देंगे।

श्री सभापति: माननीय संसद सदस्य इतने होशियार हैं कि आप संकेत करेंगे तो उसी में वह समझ जाएंगे।

श्री राम विलास पासवान: आप हमको धन्यवाद दीजिए कि हम कितना होमवर्क करके आते हैं।

श्री सभापति: इतना होमवर्क करने के बाद भी मॅबर सैटिस्फाइड नहीं हैं।

SHRI RAM VILAS PASWAN: He is satisfied.

SHRI BIMAL JALAN: Sir, the hon. Minister has given a very interesting reply. But the question was about the delay, not about the contents of the policy. Neither in his written answer nor in his reply to the supplementaries, has the Minister come out clearly as to (a) whether in his view there is a delay in removing the anomaly; (b) whether this is due to a lot of bureaucratic red tapism; (c) whether the delay, rather than the policy itself, is affecting the fortunes of FACT and other public sector companies; and (d) what is being done to remove the delay. Can the hon. Minister answer the question of delay rather than going into the contents of the policy?

SHRI RAM VILAS PASWAN: I will go into these aspects and respond to the queries of the hon. Member.

\*43. [The questioner (SHRI BALAVANT alias BALAPTE) was absent. For answer vide page 32].

### Projects pending for environment clearance

\*44. SHRI T.T.V.DHINAKARAN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the details of projects pending with Government for environmental clearance, State-wise;

(b) the reason for undue delay in clearing the projects; and

(c) whether Government would set up a time-frame for clearing the projects submitted by the States?